— प्रेस नोट —

दिनांक 03.01.2021

जनपद-मीरजापुर ।

थाना कछवां पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या का आरोपी भाई गिरफ्तार

दिनांक 01.1.2021 को वादिनी नगीना पत्नी भाईलाल उर्फ करिया बनवासी निवासी थाने रामपुर थाना फूलपुर जनपद वाराणसी द्वारा थाना कछवा पर सूचना दिया गया कि मैं अपने सास-ससुर पति और देवर के साथ लाखन सिंह ईट भट्ठा ग्राम दियांव में रहकर ईट के थपाई का कार्य करते हैं, दिनांक 01.01.2021 को अपनी झोपड़ी पर मेरे पति व देवर शराब पीकर आए और साथ खाना खाने के बाद पैसे की लेनदेन को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे मैं तथा मेरी सांस छुड़ाने गए तो हम लोगों को धक्का देकर गिरा दिए, मेरे देवर बबलू ने मेरे पति को चाकू से सीने और जांघ में चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से भाग गया, तब हम लोगों द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मेरे पति की मृत्यु हो गई, इस सूचना पर थाना कछवां पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग की विवेचना वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह थाना कछवां मयहमराह व0उ0नि0 रमाकान्त यादव ,का0 श्याम शेर यादव, का0 सुनील यादव द्वारा वांछित अभियुक्त मृतक का भाई बबलू पुत्र अज्ञात निवासी लाखन सिंह ईट भट्ठा ग्राम दियांव थाना कछवां मीरजापुर को दिनांक 02.01.2021 को समय लगभग 16.55 बजे निगतपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।